भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3239

उत्तर देने की तारीख 21 अगस्त, 2025 (गुरुवार)

30 श्रावण, 1947 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्वी राज्यों में आवंटित की गई केंद्रीय निधि

3239. श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चाः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर-पूर्वी राज्यों, विशेषकर सिक्किम में अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर), उत्तर-पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजनाओं (एनईएसआईडीएस) और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) चालू वर्ष सहित विगत पांच वर्षों के दौरान आवंटित और उपयोग की गई केंद्रीय निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख) उत्तर-पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) को वर्ष 2017-18 में केंद्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम के रूप में अनुमोदित किया गया और वर्ष 2022-23 में इसे दो घटकों अर्थात एनईएसआईडीएस (सड़कें) और एनईएसआईडीएस (सड़क अवसंरचना के अलावा) में पुनर्गठित किया गया। एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई) घटक में अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर), उत्तर-पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) और पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) की स्कीमों के तहत दिनांक 01.04.2022 तक स्वीकृत और जारी परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देनदारियों को शामिल कर लिया गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा मणिपुर के तामेंगलोंग (अब तामेंगलोंग और नोनी) जिले में 2 वर्षों अर्थात वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए प्रायोगिक आधार पर पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) शुरू किया गया था। एनएलसीपीआर, एनईएसआईडीएस और एचएडीपी नामक स्कीमों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में दिनांक 31.07.2025 तक एनएलसीपीआर, एनईएसआईडीएस, एचएडीपी और एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई) स्कीमों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा जारी निधि का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

"उत्तर-पूर्वी राज्यों में आवंटित की गई केंद्रीय निधि" विषय पर राज्य सभा में दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3239 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

एनएलसीपीआर, एनईएसआईडीएस और एचएडीपी स्कीमों के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य	एनएलसीपीआर		एनईएसआईडीएस		एचएडीपी	
	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत
अरुणाचल प्रदेश	194	2465.72	44	1402.37	-	-
असम	417	3875.97	49	2673.39	-	-
मणिपुर	177	1857.13	30	1014.37	41	98.29
मेघालय	107	1447.24	20	914.74	-	-
मिजोरम	159	1394.20	28	722.92	-	-
नगालैंड	137	1805.40	31	1353.86	-	-
सिक्किम	111	1409.69	14	551.12	-	-
त्रिपुरा	106	1881.31	18	672.50	-	-
अन्य	4	21.41	-	-	-	-
कुल	**1412**	**16158.07**	**234**	**9305.26**	**41**	**98.29**

अनुबंध-II

"उत्तर-पूर्वी राज्यों में आवंटित की गई केंद्रीय निधि" विषय पर राज्य सभा में दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3239 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

चालू वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान एनएलसीपीआर, एनईएसआईडीएस, एचएडीपी और एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई) के अंतर्गत जारी निधि का विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
अरुणाचल प्रदेश	145.67	232.86	43.24	82.7	115.35	22.66
असम	81.5	299.72	178.87	172.47	126.86	153.81
मणिपुर	92.89	93.97	6.39	45.36	21.22	16.17
मेघालय	42.93	209.49	2.31	49.11	116.18	21.8
मिजोरम	107.21	77.82	13.06	42.12	57.16	20.87
नगालैंड	90.85	104.53	4.3	66.54	77.32	12.94
सिक्किम	62.61	61.45	37.61	31.56	21.34	5
त्रिपुरा	17.48	82.65	39.38	26.4	59.61	31.55